


40  
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर कैम्प सागर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क. R-3437-11/14



बैजनाथ प्रसाद पटैल बल्द धनीराम पटैल

पता रेल्वे स्टेशन के पीछे लोको, दमोह तहसील व जिला, दमोह

अर्जुन लाल पटैल बल्द रामदयाल पटैल

पता तीन गुल्ली दमोह तहसील व जिला, दमोह ....पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

विरुद्ध

प्रशांत पिता हरेन्द्र पटैल

साकिन कुआखेड़ा बाजी तहसील पटेरा जिला, दमोह

2. मध्यप्रदेश शासन

....उत्तरवादीगण/आवेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

श्रीमान् जी

पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय दमोह पीठासीन श्री अनिल शुक्ला के स्वमेव निगरानी क. 013अ/12 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30/8/14 से पीड़ित व दुखित होकर पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के तथ्य :-

संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उत्तरवादी/आवेदक क. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा हटा (खास) प.ह.नं. 32 के खसरा नंबर 285 रकवा 0.044 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय हटा के द्वारा रा.प्र.क. 26अ/12 वर्ष 13-14 सीमांकन बावत् प्रकरण कायम किया गया था। चूंकि सीमांकन कार्यवाही आवेदक/उत्तरवादी कमांक 1 की उपस्थिति में एवं पुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण की अनुपस्थिति में की गई थी, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के श्रीमान् तहसीलदार महोदय हटा के समक्ष इस आशय की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -निगरानी- 3437-एक/2014

जिला-दमोह

बैजनाथ प्रसाद पटैल विरुद्ध प्रशांत व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला-दमोह के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-08-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आयुक्त जिला-दमोह) सदस्य</p> <p>05/3/2019</p>